न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 05/2022 राजस्व वाद

1. दिलीप कुमार पुत्र श्री बाबू लाल सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा
2. योगेश कुमार पुत्र श्री बाबू लाल सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा
3. हेमन्त कुमार पुत्र श्री बाबू लाल सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा
4. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 बाबू लाल सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– वादीगण

बनाम

1. नन्द लाल पुत्र श्री कुंज बिहारी सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा
2. मांगी लाल पुत्र श्री रंग लाल सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा
3. राजेश पुत्र श्री रामस्वरूप सुनार आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन, –अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकपक्षीय– प्रतिवादीगण
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक– 28.02.2024

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड ए[illegible]धि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उपस्थित नही होने से एक [illegible]ही के आदेश दिए गए। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। [illegible] की अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहरा[illegible] तहसीलदार करेड़ा की [illegible] रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 932 मे आराजी नम्बर 4203 रकबा 0.3415 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4204 रकबा 0.4426 हैक्टयर मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1) खातेदार का नाम– दिलीप कुमार पुत्र श्री बाबू लाल 1/4, योगेश कुमार पुत्र श्री बाबू लाल 1/4, हेमन्त कुमार पुत्र श्री बाबू लाल 1/4, सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री बाबू लाल 1/4 जाति सुनार सा. देह खातेदार के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	4203/2	0.1708 हैक्टयर
2.	4204/2	0.2997 हैक्टयर
योग	कुल किता 02	0.4705 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– नन्द लाल पुत्र कुंज बिहारी 1/2, मांगी लाल पुत्र श्री रंग लाल 1/4, राजेश पुत्र श्री रामस्वरूप 1/4 जाति सुनार सा. देह खातेदार के नाम पर

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	4203/1	0.1707 हैक्टयर
2.	4204/1	0.1429 हैक्टयर
योग	कुल किता 02	0.3136 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manmohan Meena
Date: 2024.03.06 12:03:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)